पिछला

अगल





## राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II — Section 3 — Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 58] No. 58] नई दिस्सी, बुधवार, फरवरी 6, 2008/माघ 17, 1929

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2008/MAGHA 17, 1929

जनजातीय कार्य मंत्रालय शद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 73 (अ).—अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 से संबंधित भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सं. सा.का.नि. 1 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2008 द्वारा उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी:—

- (i) पृष्ठ 1, नियम 1 के उप नियम (1) में "नियम, 2007" के स्थान पर "नियम, 2008" पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 7 में, "प्ररूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप [नियम 11 (1) (क) देखें]'', के स्थान पर,

''भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय प्ररूप-क वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11 (1) (क) देखें]'', पढ़ें;

(iii) पृष्ठ 8 में, "प्ररूप-ख

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप [नियम 11 (1) (क) और (4) देखें]'', के स्थान पर, ''भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय प्ररूप-ख सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें]'', पढ़ें;

(iv) पृष्ठ 9 में, ''उपाबंध 2

[नियम 8 (ज) देखें]'', के स्थान पर,

''उपाबंध 2 भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8 (ज) देखें]'', पढें;

(v) पुष्ठ 10 में, ''उपाबंध 3

[नियम 8 (ज) देखें]'', के स्थान पर,

''उपाबंध 3

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8 (ज) देखें]'', पढ़ें; (vi) पुष्ठ 10 के अंत में,

"[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)] डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव'' अंतःस्थापित करें.

[फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)] **डॉ. बचित्तर सिंह**, संयुक्त सचिव.

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

## CORRIGENDUM .

New Delhi, the 6th February 2008

G.S.R.73 (E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs, relating to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007, published vide number G.S.R.1 (E), dated the 1st January 2008, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the same date:—

- (i) at page 10, in sub-rule (1) of rule 1 for "Rules, 2007", read "Rules, 2008";
- (ii) at page 15,

for "FORM-A
CLAIM FORM FOR RIGHTS TO
FOREST LAND
[See rule 11 (1) (a)]",

read "Government of India
Ministry of Tribal Affairs
FORM-A
CLAIM FORM FOR RIGHTS TO
FOREST LAND
[See rule 11 (1) (a) of the Scheduled
Tribes and Other Traditional Forest
Dwellers (Recognition of Forest Rights)
Rules, 2008]";

(iii) at page 16,

for "FORM-B
CLAIM FORM FOR COMMUNITY
RIGHTS
[See rule 11 (1) (a) and (4)]",

read "Government of India
Ministry of Tribal Affairs
FORM-B
CLAIM FORM FOR COMMUNITY
RIGHTS
[See rule 11 (1) (a) and 11 (4) of the
Scheduled Tribes and Other Traditional
Forest Dwellers (Recognition of Forest

Rights) Rules, 2008]";

(iv) at page 17,

for "ANNEXURE-II [See rule 8(h)]",

read "ANNEXURE-II
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
[See rule 8(h) of the Scheduled Tribes
and Other Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Forest Rights) Rules,
2008]":

(v) at page 18,

for "ANNEXURE-III [See rule 8(h)]",

read "ANNEXURE-III
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
[See rule 8(h) of the Scheduled Tribes
and Other Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Forest Rights) Rules,
2008]";

(vi) at page 18, at the end,

insert "[F.No. 17014/02/2007-PC&V(Vol.VII)]
Dr. Bachittar Singh, Joint Secretary".

[F.No. 17014/02/2007-PC&V(Vol.VII)]
Dr. BACHITTAR SINGH, Jt. Secy.